

निर्णय दिनांक 23-11-2017 स्थगन प्रार्थना पत्र सं. 24/2017

नारायणलाल खन्नाम राजसंस्कार  
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर

23-11-2017

प्राथी के वकील उपस्थित /  
अप्राथी की ओर से सरकारी वकील  
उपस्थित / इस प्रकरण से संबंधित  
मूल अपील का निर्णय हो चुका है।  
अतः अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का  
कोई औचित्य नहीं होने से यह  
प्रकरण खारिज किया जाता है / यह  
प्रकरण मूल अपील सं. 34/2017 के  
संलग्न किया जावे /

S.d.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
जालौर (राज.)